न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 43 / 2020 (2020 / 00155)

1.सुरेश पुत्र भैरूलाल पाराशर जाति ब्राह्मण
2.रविन्द्र प्रकाश पुत्र भैरूलाल पाराशर जाति ब्राह्मण
समस्त निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर —प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. पटवारी पटवार हल्का केकड़ी —अप्रार्थीगण

3.आशा पुत्री नरोत्तम पाराशर जाति ब्राहमण
4.कंचनलता पत्नि नरोत्तम पाराशर जाति ब्राहमण
5.कमलेश पुत्री भैरूलाल पाराशर जाति ब्राहमण
6.नरेन्द्र पुत्र भैरूलाल पाराशर जाति ब्राहमण
7.नीतू पुत्री नरोत्तम पाराशर जाति ब्राहमण
8.विश्वकान्ता पुत्री भैरूलाल पाराशर जाति ब्राहमण
9.हेमलता पुत्री नरोत्तम पाराशर जाति ब्राहमण
समस्त निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर —प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— श्री शिवप्रसाद पाराशर —वकील प्रार्थी
श्री तहसीलदार केकड़ी —पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 02.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी ,कब्जे काश्त आधिपत्य स्वामित्व की ग्राम केकड़ी की निम्नवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2073—76 मे दर्ज है:—

खेवट खतौनी संख्या नयी—पुरानी	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
986—868	5871	0.83 है0	बा.1
985—867	5717	0.84 है0	बा.2

इस आराजी मे प्रार्थी के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का विधिक अधिकार व हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थी की आराजी पर पत्थरगढ़ी नही होने के कारण आराजी के पड़ौसी जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने की धमकियां देते है,तथा पत्थरगढ़ी के अभाव मे सीमा बाबत् आये दिन लड़ाई—झगड़ा प्रार्थी से करते रहते है,सीमा को लेकर विवाद होते रहते है। जिसके बाबत वादीगण ने अपनी खातेदारी की आराजीयात के सीमाज्ञान के बाबत् कई मर्तबा अप्रार्थी संख्या 1व 02 के कार्यालय मे प्रार्थना पत्र [illegible] किया लेकिन वर्तमान राजस्व नक्शें व पूर्व के राजस्व नक्शें मे अन्तर होने से सीमा [illegible] नही हो सका। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण प्रथम बार दिनांक 25.06.20[illegible] उत्पन्न हुआ और अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रकरण क्षेत्राधिकार [illegible] का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। पैरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर यह अंकित किया है कि राजहित अप्रभावित है। पैरोकार सरकार को जवाब की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थनापत्र पर बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
प्रकरण संख्या 43 / 2020(2020 / 00155)
अंतर्गत 128 भू राजस्व अधिनियम
आदेश दिनांक 02.09.2021

वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दौहराया तथा अवगत कराया कि ग्राम केकड़ी की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी प्रार्थीगण व प्रफार्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। जिसकी पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थीगण को हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना फरमावे।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की तथा पत्रावली की आदेशिका पर यह अंकित किया कि पत्थरगढ़ी करने से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस पर गौर किया। खातेदार स्वयं की खातेदारी की आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने का हक अधिकार रखता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी ग्राम केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या नया–पुराना 986–868 खसरा नंबर 5871 रकबा 0.83 है0 तथा 5717 रकबा 0.84 है0 की पत्थरगढ़ी ,प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करवाने पर दक्ष कार्मिको की टीम गठित कर करावे। प्रार्थना पत्र का खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पचौली)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner